To Set-Up Fire Station

Un-Starred Questions Serial No. 17 **Sh. RAKESH DAULTABAD (Badshahpur), M.L.A Badshahpur:**

Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state;

a) the regulation under which the fire stations in Haryana are established;

b) whether there are any regulations or policies regarding the maximum distance at which a fire-fighting unit must be present;

c) whether any assessment has been conducted by the Government to find areas with potential fire hazards;

d) the status of the Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022 and its re-introduction;

e) whether there are any regulations or proposals for establishing at least one fire station in a Municipality;

f) the closest fire station to the Municipality of Farrukh Nagar; and

g) whether there is any proposal under consideration of the Government to setup a Fire Station in the Municipality of Farrukh Nagar?

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister

a) Fire Stations in Haryana are established under the provisions of Haryana Fire & Emergency Services Act, 2022.

b) Yes Sir, the guidelines of Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation issued by Ministry of Urban Development, Government

of India, Volume I (8.4.9 Safety Management), provide as under:-

"2 lakh population or 5-7 KM radius".

c) The department has conducted an assessment on the basis of presence of high rise buildings, industrial Clusters, inflammable industries, high density Area etc., fire vehicle/fire equipments are provided accordingly.

d) Haryana Fire & Emergency Services Bill, 2022 has been passed by the Haryana Vidhan Sabha on 04.03.2022 and Haryana Fire & Emergency Services Act, 2022 has been notified on 08.04.2022.

e) Fire Stations in municipality are to be established as per rule 4 of Haryana Municipal (Formation and Working of Fire Brigade) Rules, 1985 which is reproduced as under:-

"Every A class committee shall maintain a fire brigade alongwith requisite equipment and personnel and B class or C class committee may at its option maintain fire brigade".

f) The closest fire station to the Municipality of Farrukh Nagar is Fire Station, Pataudi.

g) Yes Sir, there is a proposal to establish Fire Station at Farrukh Nagar in the year 2024-25.

*****

अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना

अतारांकित प्रश्न
क्रम संख्या 17 श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर):

क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) किस नियम के अंतर्गत हरियाणा में अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या अधिकतम दूरी के संबंधित कोई नियम या नीतियां हैं जिसमें अग्निशमक इकाई होनी चाहिए;

(ग) क्या आग के खतरे से संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई आकंलन करवाया गया है;

(घ) हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 तथा इसकी पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या एक नगर पालिका में कम से कम एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई नियम या प्रस्ताव हैं; तथा

(च) फारूख नगर की नगरपालिका के समीप अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री

(क) हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत हरियाणा में दमकल केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) हाँ महोदय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 1 (8.4.9 सुरक्षा प्रबंधन) द्वारा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के

निर्माण और कार्यान्वयन मुद्दों के दिशानिर्देशों के अनुसार दमकल केन्द्र स्थापित करने का निम्न प्रावधान हैः–

"2 लाख आबादी या 5–7 किलोमीटर के दायरे में "

(ग) विभाग द्वारा ऊंची इमारतों, औद्योगिक ईकाइयों, ज्वलनशील उद्योगों, उच्च घनत्व क्षेत्र आदि की उपस्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, तदानुसार दमकल केन्द्रो पर वाहन/अग्निशमन उपकरण उपलब्ध करवाये गये है।

(घ) हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2022 को हरियाणा विधानसभा द्वारा 04.03.2022 को पारित किया गया तथा हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2022 दिनांक 08.04.2022 को अधिसूचित किया गया।

(ङ) नगर पालिका में दमकल केन्द्रों की स्थापना हरियाणा नगरपालिकाओं (फायर ब्रिगेड का गठन और कार्य) नियम, 1985 के नियम 4 के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार हैः–

"प्रत्येक ए श्रेणी समिति आवश्यक उपकरण एवं कर्मियों के साथ एक दमकल केन्द्र का रख–रखाव करेंगी और बी श्रेणी या सी श्रेणी समिति अपने विकल्प पर दमकल केन्द्र का रख–रखाव कर सकती है।

(च) नगर पालिका, फारुख नगर का निकटतम दमकल केन्द्र, पटौदी है।

(छ) हां महोदय, वर्ष 2024–25 में फारुख नगर में दमकल केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

''''''